

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 26, मई 2016

क्रमांक एफ 10-31/2016/वा.कर(आब.)/पाँच (59) - छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30, सन् 1936) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ केबल/डी.टी. एच. टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन


1. उक्त नियमों में, :-

- (1) नियम 3 केबल सेवा प्रदाय करने की अनुज्ञा के उप नियम (2) में शब्द "अनुज्ञा के लिये प्राधिकृत अधिकारी को" के पश्चात् तथा "आवेदन कर सकेगा" शब्द के पूर्व "छत्तीसगढ़ शासन, आबकारी विभाग के वेबसाइट <https://excise.cg.nic.in> द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से" अंतःस्थापित किया जाए।
- (2) नियम 11. शुल्क के संदाय कातारीका के उप नियम (1) में शब्द "मनोरंजन शुल्क की रकम खजाने में" के पश्चात् तथा "जमाकरेगा" शब्द के पूर्व "छत्तीसगढ़ शासन, आबकारी विभाग के वेबसाइट <https://excise.cg.nic.in> द्वारा ऑनलाईन ई-चालान के माध्यम से" अंतःस्थापित किया जाए।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 1/6/2016 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(ए.पी. त्रिपाठी)


विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक 26, मई 2016

क्रमांक एफ 10-31/2016/वा.कर(आब.)/पाँच (59) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2016/वा.कर(आब.)/पाँच (59), दिनांक 26 मई, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax (Excise) Department
Mantralaya
Mahanadi Bhawan, NayaRaipur-492002

NOTIFICATION

New Raipur, Dated : 26/05/2016

No. F-10-31/2016/CT(Ex.)/V (59) - In exercise of the power conferred by Section 8, of The Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) the State Government, hereby, makes the following further amendments in The Chhattisgarh Cable/DTH Television (Exhibition) Rules, 1999 (as amended)


Amendment

1. In above Rules:-

- (1) The word "online through website, <https://excise.cg.nic.in> of Excise department, Government of Chhattisgarh" to be inserted after the words "may apply" and before the words "to the authorised officer for permission to provide such service" in Sub Rule (2) of Rule 3. **Permission to provide cable service.**
- (2) The word "via online E-Chalanthrough website, <https://excise.cg.nic.in> of Excise department, Government of Chhattisgarh" to be inserted after the words "deposit" and before the words "the amount of entertainment Duty into the treasury" in Sub Rule (1) of Rule 11. **Mode of payment of duty.**

2. The above amendment shall be applicable from 01.06.2016.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,



(A.P. Tripathi)

Special Secretary